प्रैस विज्ञप्ति

दिनांकः 28.07.2021

अवैध शस्त्र फैक्ट्री जब्त, 04 शातिर बदमाश थाना खुर्जा देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्रों का जखीरा, शस्त्र बनाने के फैक्ट्री उपकरण आदि बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थानाप्रभारी खुर्जादेहात श्री नीरज कुमार के नेतृत्व में दिनांक 27.07.2021 की रात्रि में थाना खुर्जादेहात पर नियुक्त उ0नि0 यशो वर्मा एवं उ0नि0 उम्मेद अली मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में तलाश वांछित व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियो की चैकिंग में मामूर थे कि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि चौकी धराऊ से कुछ दूरी पहले बंद पडे भट्टे पर बनी कोठरी में कुछ व्यक्ति अवैध शस्त्र बनाने का कार्य कर रहे है। उक्त सूचना को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर बंद पडे भट्टे पर बनी कोठरी की घेराबन्दी कर 04 अभियुक्तों को समय रात्रि 01.30 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मौके से पिस्टल, बने-अधबने तमंचे एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पताः-

1. जमीलुउद्दीन उर्फ इमरान पुत्र नेक मोहम्मद निवासी ग्राम फराना थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।
2. हसमुद्दीन पुत्र नन्हे खां निवासी मौ0 खीरखानी थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।
3. फिरोज पुत्र अनीस निवासी मौ0 नई आबादी फोरमैन वाली गली कस्बा व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।
4. प्रेमसिंह पुत्र बादल सिंह निवासी ग्राम मुंडाखेड़ा थाना खुर्जानगर जनपद बुलंदशहर।

बरामदगी का विवरणः-

1- 02 पिस्टल
2- 07 तमंचे 315 बोर
3- 04 तमंचे 12 बोर
4- 02 अधबने तमंचे (एक 315 बोर व एक 12 बोर)
5- दो जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक जिन्दा कारतूस 12 बोर।
6- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण**- 03 रेती छोटी-बड़ी, 13 बर्मा विभिन्न साइज के, एक बर्मा मशीन, एक आरी मय ब्लेड, 09 आरी ब्लेड़, 02 हथौड़ी, 03 संडासी, 03 पेंचकस, 03 छैनी, 02 प्लास, एक शिकंजा, 07 टुकड़े पत्ती छोटे-बड़े, एक लोहे की एंगल, 10 रिपट, एक पेट्रोमैक्स, 06 टुकडे रेगमाल, 04 नाल लोहा 315 बोर, एक धूकनी, एक बोलट, एक सुम्भी लकड़ी, फंटी छोटे-छोटे टुकड़े आदि।

गिरफ्तार अभियुक्त जमीलुउद्दीन उर्फ इमरान पैरोल पर बाहर था जो पूर्व में भी अवैध शस्त्र बनाने के मामले में जेल जा चुका है।

अभियुक्त जमीलुउद्दीन उर्फ इमरान का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-206/21 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम(फैक्ट्री) थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त प्रेम सिंह का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-516/21 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जा देहात पर मुअसं-460/2021 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम(फैक्ट्री) पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री नीरज कुमार थानाध्यक्ष खुर्जा देहात
2. उ0नि0 श्री यशो वर्मा, उ0नि0 श्री उम्मेद अली।
3. का0 रविन्द्र सिंह, का0 भीम सिंह, का0 मन्दीप कुमार, का0 सोहन सिंह, का0 चालक जितेन्द्र कुमार।